समक्ष बिनोद कुमार रॉय, सी.जे. और राजीव भल्ला, जे.

कोर्ट अपने ही प्रस्ताव पर - याचिकाकर्ता

बनाम

मनीष छिब्बर - उत्तरदाता

2002 का सी.ओ.सी.पी. संख्या 18

29 मई, 2004

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 - धारा 2 (सी) और 15 - आपराधिक अवमानना - माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक पत्रकार के खिलाफ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लगाए गए नोट के आधार पर अवमानना का संज्ञान - रात में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर जाने के लिए पत्रकार को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया गया ताकि यह जानकारी प्राप्त हो सके कि वहां सीबीआई का छापा मारा जा रहा है - पत्रकार द्वारा स्वयं गलत पाई गई जानकारी . उसी संवाददाता द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया कि उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों और वकीलों के बारे में कुछ शरारती तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं और यह गलत सूचना अभियान पाया गया - चौथे स्तंभ के सदस्य के रूप में पत्रकार का कर्तव्य - तथ्यों के प्रकाशन से पहले सत्यापन - बचाव पक्ष ने कहा कि समाचार पत्र में प्रकाशन प्रसारित अफवाहों को सत्यापित करने का एक प्रयास था और यह चौथे स्तंभ के कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन में किया गया था - इस तरह के सत्यापन में पत्रकारिता लाइसेंस की सीमा पार नहीं की जाती है - 'प्रकाशन' या 'बोले गए शब्दों' के अभाव में कार्रवाई अवमानना नहीं होती है - इस तरह की कार्रवाई आपराधिक अवमानना नहीं है, बल्कि इसे गैर-जिम्मेदार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है - अखबार की रिपोर्ट में कोई मकसद नहीं पाया गया - अवमाननाकर्ता ने न तो अफवाहों का स्रोत पाया और न ही विघटनकर्ता और, इसलिए, झूठी साबित हुई जानकारी को सत्यापित करने के उनके प्रयास को किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम में हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं माना जा सकता है या न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने या बाधित करने या बाधित करने का प्रयास नहीं माना जा सकता है। उचित संदेह से परे - इस कृत्य ने हालांकि आक्रोश पैदा किया, लेकिन आपराधिक अवमानना के दोष में नहीं आता है - नियम का निर्वहन - हालांकि, न्यायालय ने चेतावनी दी कि वर्तमान मामले में न्यायालय की राय की अभिव्यक्ति को न्यायपालिका की संस्था पर हमला करने के लाइसेंस के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और जब चीजें गलत होती हैं तो चुप रहना अदालत के लिए एक विकल्प नहीं होगा।

निर्धारित किया जाता है कि यह चौथे के सदस्य के रूप में एक पत्रकार का कर्तव्य है संपत्ति को उसकी जानकारी में आने वाले किसी भी तथ्य को प्रकाशित करने से पहले सत्यापित करना होगा। माननीय न्यायाधीश के निवास पर अवमाननाकर्ता का दौरा प्रसारित अफवाहों को सत्यापित करने का एक प्रयास था और इसलिए, फोर्थ एस्टेट के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन में किया गया था। अवमाननाकर्ता ने पत्रकारिता लाइसेंस की सीमा को पार नहीं किया और इसलिए, अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(पैरा-15)

इसके अलावा, यह कहा गया है कि आपराधिक अवमानना की परिभाषा का विस्तृत विश्लेषण, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (सी) में निर्धारित किया गया है और जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में कहा गया है, हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि आपराधिक अवमानना का गठन करने के लिए किसी कार्य के लिए, पहला आवश्यक घटक "प्रकाशन" है, चाहे वह बोले गए शब्दों द्वारा हो या लिखे गए शब्दों द्वारा।संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा। कथित तौर पर अवमानना करने वाले इस कृत्य को ऊपर बताए गए तरीके से 'प्रकाशित' किया गया होगा. "प्रकाशन" पर, अधिनियम को एक या दूसरे के अधिनियमों की धारा 2 (सी) खंड (i), (ii) और (iii) में वर्णित शरारत के साथ भी आना चाहिए, जो आपराधिक अवमानना नहीं माना जाएगा। आपराधिक अवमानना के रूप में, अधिनियम की धारा 2 (1) के खंड (i), (ii) और (iii) के "प्रकाशन" और सामग्री दोनों सह-अस्तित्व में होने चाहिए। हालांकि, यदि कोई कार्य आपराधिक अवमानना नहीं है, तो इस तरह के कार्य की कमी के लिए किसी भी अन्य अधिनियम की अवशिष्ट श्रेणी के भीतर आएगा। दोनों के लिए सामान्य कारक अधिनियम को बदनाम करना या बदनाम करना आदि है।

(पैरा 21)

इसके अलावा, यह माना गया कि आवश्यक सबूत का मानक आपराधिक कार्यवाही का है और उल्लंघन उचित संदेह होना चाहिए।

(पैरा -27)

इसके अलावा, फोर्थ एस्टेट, हालांकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ निहित है, न्यायाधीशों या कानून के न्यायालयों से संबंधित अनुचित रूप से वर्तमान मामलों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है या अतिरंजित नहीं कर सकता है। यदि न्यायालय के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता का अशिष्ट दुरुपयोग या उल्लंघन होता है, तो पत्रकारिता लाइसेंस या प्रेस की स्वतंत्रता का कोई भी बहाना इस तरह के दुरुपयोग / उल्लंघन के लिए उचित सजा को रोक नहीं पाएगा। हालांकि, लोकतांत्रिक समाजों में, अदालतों के लिए भोग दिखाना उचित होगा। आक्रोश के बजाय। अवमानना के लिए दंडित करने

के लिए न्यायालयों को प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग केवल कदाचार या अनौचित्य के प्रश्न पर नहीं किया जा सकता है। अवमाननाकर्ता के प्रकाशन या आचरण के संबंध में उल्लंघन, (ए) किसी न्यायालय या न्यायाधीश को अवमानना में लाने या उसके अधिकार को कम करने के लिए गणना किया गया कार्य या लेखन अदालत की अवमानना के बराबर होना चाहिए और इसे संक्षेप में अदालत को बदनाम करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, (बी) कोई भी कार्य या लेखन जो मानव जाति को व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रह करता है या न्याय की नियत प्रक्रिया में बाधा या हस्तक्षेप करता है। न्यायालय की विधिसम्मत प्रक्रिया न्यायालय की अवमानना है।

(पैरा 28)

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि माननीय न्यायाधीश द्वारा प्राप्त जानकारी को सत्यापित करने के उद्देश्य से उनके निवास पर जाने में अवमाननाकर्ता का कार्य एक ऐसा कार्य नहीं है जो अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित आपराधिक अवमानना की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तथ्यों के एक सेट को सत्यापित करने का प्रयास, हालांकि अफवाहें उनकी शुद्धता या असत्यता को स्थापित करने के लिए अवमानना की शरारत के भीतर आने वाला कार्य नहीं माना जा सकता है। फोर्थ एस्टेट, जिसका कथित अवमाननाकर्ता सदस्य है, को अपने natl.re से सभी तथ्यों को रिपोर्ट करने से पहले सत्यापित करना आवश्यक है। एक माननीय न्यायाधीश के आवास पर एक ऐसे समय में जाने को अधिक से अधिक गैर-जिम्मेदाराना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कथित अवमाननाकर्ता के आचरण ने बहुत आक्रोश, क्रोध और नकल पैदा की होगी। हालांकि, उक्त अधिनियम आपराधिक अवमानना के परीक्षण से बहुत कम है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (सी) खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित किया गया है। कथित अवमाननाकर्ता का उद्देश्य शरारती और बेईमान तत्वों द्वारा फैलाई जा रही उग्र अफवाहों की खुद पुष्टि करना था। अवमाननाकर्ता न तो इन अफवाहों का स्रोत था और न ही विघटनकर्ता और इसलिए, प्राप्त जानकारी को सत्यापित करने का उसका प्रयास। जो गलत साबित हुआ, उसे बदनाम करने का प्रयास नहीं माना जा सकता है, जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करता है या किसी भी तरह से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है।

(पैरा 30)

आगे कहा गया कि समाचार पत्र की रिपोर्ट के विस्तृत अवलोकन से पता चलता है कि अवमाननाकर्ता ने उच्च न्यायालय के कुछ माननीय न्यायाधीश पर निर्देशित सीबीआई छापे/जांच के आचरण के बारे में अफवाहों को दूर करने की मांग की और फिर माननीय न्यायाधीश के निवास का दौरा करने के बाद इन अफवाहों की असत्यता को फिर से गिनने के लिए आगे बढ़े।

(पैरा31)

आगे कहा गया कि उक्त रिपोर्ट, वास्तव में, इन अफवाहों को खारिज करती है और उनकी झूठीता को उजागर करती है। यदि कथित अवमाननाकर्ता का प्रयास कथित छापे/जांच के बारे में अफवाहों को बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में लाना था, तो अखबार की रिपोर्ट से ऐसा कोई इरादा नहीं लगाया जा सकता है। हम रिपोर्ट में एक मकसद नहीं पढ़ सकते हैं, जहां कोई नहीं है। अखबार की रिपोर्ट से अवमानना का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

(पैरा31)

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि एक माननीय न्यायाधीश के आवास पर जाने, दूसरे माननीय न्यायाधीश के निवास पर टेलीफोन कॉल करने और बाद में समाचार पत्र की रिपोर्ट प्रकाशित करने में कथित अवमाननाकर्ता का आचरण अवमानना के बराबर नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री उचित संदेह से परे यह स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है कि कथित अवमाननाकर्ता इस न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने का दोषी है।

(पैरा 32)

इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि अधिनियम की धारा 2 (सी) में निर्धारित आपराधिक अवमानना की परिभाषा के आलोक में और जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है, कथित अवमाननाकर्ता के कृत्य की जांच की जाती है, किसी भी तरह से इतना घृणित आचरण नहीं बनता है कि इस न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़े। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत यथा परिकल्पित कोई प्रभार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 33)

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि फोर्थ एस्टेट को राय की वर्तमान अभिव्यक्ति को न्यायपालिका की संस्था पर हमला करने के लिए लाइसेंस के रूप में नहीं लेना चाहिए।

(पैरा 34)

अवमाननाकर्ता मनीष छिब्बर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुमीत गोयल और डी. एस. नलवा।

मनीष तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एल सिब्बल, ऋषिकेश बरुआ और सपन धीर ने पैरवी की।

न्यायालय अपने स्वप्रेरणा से बनाम मनीष छिब्बर (राजीव भल्ला, जे)

.रणधीर सिंह, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, डी.ए.जी., पंजाब।

निर्णय

राजीव भल्ला, जे:

(1) इस आपराधिक अवमानना कार्यवाही की उत्पत्ति एक नोट है, जिसे माननीय श्री न्यायमूर्ति आरएल आनंद (जैसा कि तब उनका आधिपत्य था) द्वारा इस न्यायालय के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया गया था। उक्त नोट इस प्रकार है:-

"माननीय मुख्य न्यायाधीश.

कृपया आपके विचार और जानकारी के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं:-

19/20-7-2002 की मध्यरात्रि को, लगभग 11.45 बजे मैं अपने शयनकक्ष में सो रहा था, जब श्री योम बहादुर, उच्च न्यायालय के चौकीदार, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे घर के सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, ने मुझे जगाया। और श्री मनीष छिबर का एक विजिटिंग कार्ड सौंपा। वरिष्ठ संवाददाता. "द हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड" और मुझसे निम्नलिखित शब्द बोले:-

"मेरे आवास के बाहर तैनात संतरी गार्ड ने उसे बताया है कि हमारे बंगले पर पुलिस ने छापा मारा है।"

मैं अपने आवास से बाहर आया और संतरी गार्ड से पूछताछ की जिसने मुझे निम्नलिखित तथ्य बताए:-

"कुछ मिनट पहले पहली बार एक स्कूटर पर एक व्यक्ति आया और उसने मुझसे पूछा कि जज साहब के आवास पर सीबी 1 का छापा पड़ा है। मामला क्या है? मैंने उक्त संवाददाता से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है . यह सब झूठ है। उस संवाददाता ने मुझे संलग्न विज़िटिंग कार्ड भी सौंप दिया। उस सेंट्री गार्ड ने स्कूटर का नंबर 9700 नोट कर लिया। उसने मुझे आगे बताया कि उस संवाददाता के आने के बाद एक कार (ज़ेन) नंबर 9730 वहां आई थी .इस पर एक युवती समेत दो-तीन लोगों ने कब्जा कर रखा था. उन लोगों ने संवाददाता से बातचीत की और वे वहां पांच मिनट तक रुके. उन संवाददाताओं ने संतरी गार्ड से यह भी पूछा कि क्या सीबीआई ने छापा मारा है. या नहीं। संतरी गार्ड ने

उन्हें फिर जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ है। पांच मिनट इंतजार करने के बाद वे लोग चले गए।" संतरी गार्ड ने घंटी बजाकर योम बहादुर को सर्वेंट क्वार्टर से जगाया और विजिटिंग कार्ड उसे सौंप दिया।

जब मैं आवासीय परिसर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एक टेलीफोन कॉल आया। एक व्यक्ति ने मेरा नाम पूछा और जब मैंने उसे बताया कि मैं जस्टिस आनंद बोल रहा हूं, तो उसने मुझे टेलीफोन पर निम्नलिखित शब्द कहे:-

"किस सिलसिले में आपके परिसर में छापेमारी चल रही है।" 1 परेशान और नाराज़ हो गया. मैंने उससे उसका नाम जानने की कोशिश की. उसने टेलीफ़ोन पर कहा "सॉरी सर" और उसने टेलीफ़ोन बंद कर दिया। मैंने तुरंत इस तथ्य को माननीय श्री न्यायमूर्ति जीएस सिंहवल के ध्यान में लाया, जिन्होंने मुझे सलाह देते हुए कहा, "शांत रहो, सो जाओ और सुबह वह इस मामले को आपके सामने उठाएंगे। "

शनिवार यानी 20-7-2002 को श्री मनीष छिबर, वरिष्ठ संवाददाता ने मुझे फिर से टेलीफोन किया और कबूल किया कि वह पिछली रात मेरे परिसर में आए थे और संतरी गार्ड को विजिटिंग कार्ड सौंपा था। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगने का अनुरोध किया. इस कॉल के संबंध में, मैंने फिर से न्यायमूर्ति सिंघवी को फोन किया और इस टेलीफोन कॉल के बारे में महामहिम के ध्यान में लाया। 15/20 मिनट के बाद उस संवाददाता ने मुझे फिर से टेलीफोन किया और माफी के संबंध में वही अनुरोध दोहराया। मैं टेलीफोन पर उससे बहुत परेशान था और यहां तक कि मैंने उसे डांटा भी था।

(2) उपरोक्त नोट प्राप्त होने पर तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"न्यायालय की अवमानना के लिए स्वत: संज्ञान कार्रवाई शुरू करें।"

(3) इसके बाद, मामले को माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके बाली और माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल की अध्यक्षता वाली पांचवीं डीबी के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। उक्त खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"सम तिथि के एक अलग नोट में उल्लिखित कारणों के लिए, इस मामले को एक माननीय पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसमें हम में से एक (वीके बाली, जे.) सदस्य नहीं हैं।

(4) माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके बाली द्वारा निम्नलिखित आशय का एक अलग नोट भी दर्ज किया गया था:-

"उसी संवाददाता, अर्थात्, श्री मनीष छिब्बर, ने उसी दिन, यानी 19-7-2002 (शुक्रवार) को लगभग 11.15 बजे मेरे आवास पर टेलीफोन किया, मैं उस समय सो रहा था और टेलीफोन मेरे नौकर ने उठाया था ससुर, जो पिछले कुछ दिनों से उस दिन हमारे साथ रह रहे थे। इसी बीच, मेरी पत्नी भी उठ गई और नौकर से टेलीफोन ले लिया। टेलीफोन पर सज्जन ने मेरी पत्नी को बताया कि वह प्रेस संवाददाता मनीष छिब्बर हैं और पूछताछ की। जैसे कि क्या यह न्यायमूर्ति वीके बाली का आवास था। इस तथ्य की पुष्टि करने पर कि यह निवास वास्तव में न्यायमूर्ति वीके बाली का था, उन्होंने मेरी पत्नी से पूछा कि वह मुझसे बात करना चाहेंगे। उन्हें बताया गया कि मैं सो रहा हूं और वह (मेरी पत्नी) पत्नी) मुझे नहीं जगाएगी। फिर उन्होंने पुनीत के बारे में पूछा। जब उनसे पूछा गया कि पुनीत कौन है, तो उन्होंने कहा कि पुनीत बाली (मेरा बेटा)। उन्हें बताया गया कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है। ये सभी तथ्य मुझे मेरी पत्नी ने बताए थे अगली सुबह यानी 20-7-2002 को।"

(5) इसके बाद मामले को माननीय श्री न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल की एक अन्य खंडपीठ के समक्ष रखा गया। न्यायमूर्ति आरएल आनंद द्वारा तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित उपरोक्त पत्र और माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके बाली द्वारा दर्ज किए गए नोट को ध्यान में रखते हुए, उक्त खंडपीठ ने दिनांक 23-7-2002 के आदेश के तहत गठित किया। प्रथम दृष्टया यह राय है कि हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड के एक वरिष्ठ संवाददाता, अवमाननाकर्ता श्री मनीष छिब्बर ने जानबूझकर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी और अपने कार्य और आचरण से ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी जिससे मामला कमजोर होने की संभावना थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता. आदेश दिनांक 23-7-2002 का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:-

"हमने आरएल आनंद, जे.. द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र और वीके बाली, जे. द्वारा रिकॉर्ड किए गए नोट को ध्यान से देखा है। हम प्रथम दृष्टया आश्वस्त हैं कि श्री मनीष छिबर, जिन्हें वरिष्ठ संवाददाता के रूप में वर्णित किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड ने जानबूझकर न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। अपने कार्य और आचरण से, श्री मनीष छिबर ने ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर होने की संभावना है।

हिंदुस्तान टाइम्स, चंडीगढ़ के वरिष्ठ संवाददाता श्री मनीष छिबर को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया जाए कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू की जाए।

न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उठने वाले संभावित मुद्दों की प्रकृति को देखते हुए, हम पंजाब और हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। श्री हरभगवान सिंह और श्री सूर्यकांत, महाधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा, न्यायालय की सहायता के लिए तत्परता से सहमत हुए हैं।"

. 6. उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में, श्री मनीष छिब्बर एक वकील के माध्यम से उपस्थित हुए और दिनांक 16-8-2002 को जवाब दाखिल किया। अपने उत्तर में, निंदा करने वाले ने 19/20-7-2002 की रात की घटना को विस्तार से बताया कि उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में उनके सहयोगी श्री मनीष तिवारी से एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें एक घटना की जानकारी दी गई थी। माननीय श्री न्यायमूर्ति आरएल आनंद के आवास पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चल रही छापेमारी। अवमाननाकर्ता को जानकारी सत्यापित करने के लिए कहा गया था और जब वह उपरोक्त जानकारी की सत्यता स्थापित करने में असमर्थ था, तो उसने माननीय न्यायाधीश के आवास के पास के क्षेत्र का दौरा करके तथ्यों को स्वयं सत्यापित करने का निर्णय लिया। प्राप्त जानकारी के निष्पक्ष और निष्पक्ष सत्यापन के उद्देश्य से, अवमाननाकर्ता ने लगभग 11.15/11.30 बजे अपने स्कूटर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति आरएल आनंद के आवास के पास के क्षेत्र का दौरा किया, जिससे घटनास्थल का दृश्य परीक्षण हुआ। विचार करने वाले को यह स्पष्ट हो गया कि आसपास कोई असामान्य गतिविधि नहीं थी और तथाकथित जानकारी विश्वसनीय नहीं थी। अवमाननाकर्ता ने आगे कहा कि उसने गार्ड से विवेकपूर्ण पूछताछ की। कुछ देर बाद श्री मनीष तिवारी अपनी कार से आये। माननीय न्यायाधीश के आवास के बाहर मौजूद गार्ड ने अवमाननाकर्ता के नाम और पद के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना विजिटिंग कार्ड सौंप दिया। अवमाननाकर्ता ने माननीय न्यायाधीश को परेशान नहीं किया और न ही 19/20-7-2002 की मध्यरात्रि को कोई संपर्क करने का प्रयास किया। अवमाननाकर्ता ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि उसने 19-7-2002 की देर रात माननीय न्यायाधीश के आवास पर कोई फोन किया था। हालाँकि, अवमाननाकर्ता स्वीकार करता है कि 20-7-2002 को, उसने टेलीफोन पर माननीय न्यायाधीश से अयोग्य और बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन चूँकि माननीय न्यायाधीश पूरी तरह से नाराज थे, अवमाननाकर्ता ने दूसरे माध्यम से माफी दोहराई। टेलीफोन कॉल, कुछ मिनट बाद किया गया। अवमाननाकर्ता

ने आगे कहा कि उसने चल रही पूछताछ और आसन्न छापेमारी के संबंध में पिछले कुछ दिनों से चल रही अफवाहों को सत्यापित करने के इरादे से माननीय न्यायाधीश के आवास के बाहर के क्षेत्र का दौरा किया था और जब वह आश्वस्त हो गया कि पूरी बात सामने आई है। मामला निराधार था, उन्होंने अपने अखबार में एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें इन अफवाहों का झूठ उजागर हुआ। उक्त रिपोर्ट, जो 21-7-2002 को प्रकाशित हुई थी, यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई है:-

"हिन्दुस्तान टाइम्स.

समाचार।

चंडीगढ़, 21 जुलाई 2002।

कानूनी बिरादरी अफवाहों से परेशान है एचटी संवाददाता, चंडीगढ़, 20 जुलाई: कानूनी बिरादरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों और वकीलों के बारे में कुछ शरारती तत्वों द्वारा कथित तौर पर फैलाई जा रही अफवाहों से बेहद परेशान है।

न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही पूछताछ और छापेमारी के बारे में निराधार रिपोर्टें फैल रही हैं। कानूनी बिरादरी के एक वर्ग को संदेह है कि यह उन तत्वों की करतूत हो सकती है जो समय-समय पर पेशेवर कदाचार के लिए दोषी ठहराए गए होंगे।

पिछले दो सप्ताह के दौरान एक से अधिक मामलों में, मीडियाकर्मियों और समाचार पत्रों के कार्यालयों को ऐसे छापों के बारे में "जानकारी" प्रदान करने वाले कॉल प्राप्त हुए हैं। वास्तव में, कल आधी रात के आसपास ऐसी ही एक कॉल में सार्वजनिक रूप से उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास पर की जा रही "छापेमारी" का विशेष उल्लेख किया गया था।

जब इस अखबार की एक टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ की, तो उसे ऐसी कोई बात नहीं मिली-जाहिर तौर पर कॉल दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा था।"

7. जहां तक माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके बाली के आवास पर टेलीफोन कॉल का सवाल है, तो अवमाननाकर्ता ने केवल यह कहा है कि उसने श्री पुनीत बी.अली के ठिकाने का पता लगाने के लिए माननीय न्यायाधीश के निवास पर फोन किया था। जो उसे जानता है और इसलिए, यह एक निर्दोष पूछताछ थी जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अवमाननाकर्ता ने तुरंत टेलीफोन पर अपनी पहचान

बताई। अवमाननाकर्ता का तर्क मुख्य रूप से यह है कि यदि एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में उसके आचरण से न्यायपालिका की उच्च संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वह बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगता है।

8. अवमाननाकर्ता द्वारा दायर उपर्युक्त उत्तर पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा 21-8-2002 को विचार किया गया और निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया: -

"हमने श्री मनीष छिब्बर के उत्तर और संलग्न दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया है। उन्होंने कुछ निराधार बातों के आधार पर 19-7-2002 को रात्रि 11.15/11.30 बजे एक न्यायाधीश के आवास पर जाने की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया है। कथित तौर पर उन्हें सीबीआई, छापे और दूसरे से संपर्क करने की कोशिश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी" न्यायाधीश ने लगभग उसी समय बिना किसी स्पष्ट कारण के सशर्त माफी मांगी। हमारी राय में, उनके द्वारा मांगी गई माफ़ी न तो प्रामाणिक है और न ही ईमानदार। अत: इसे अस्वीकृत किया जाता है।

हमारा यह भी मानना है कि श्री मनीष छिब्बर की एक न्यायाधीश के आवास पर जाने और देर रात में दूसरे न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश का उद्देश्य सीबीआई छापे की झूठी अफवाह फैलाकर संबंधित न्यायाधीशों को डराना था और उन्हें गिरफ्तार करना था। संपूर्ण न्यायपालिका को बदनाम करना। हमें उनकी हरकतें न्यायपालिका को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती हैं।' न्यायाधीशों के आवास पर सीबीआई छापे का झूठा प्रचार किया गया और यह न्यायालय की अवमानना है।

श्री मनीष छिब्बर को कारण बताने के लिए नोटिस दिया गया है कि उन्हें न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंडित क्यों न किया जाए।

श्री मनीष छिब्बर के वरिष्ठ वकील श्री आरएस चीमा ने अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद तय की जाए।

श्री चीमा का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। 18-9-2002 को लगाएं।"

9. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, श्री मनीष छिब्बर को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि अदालत की अवमानना करने के लिए अवमाननाकर्ता को दंडित क्यों न किया जाए।

10. 17-9-2002 को, विद्वान महाधिवक्ता और साथ ही अवमाननाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मामले को 25-10-2002 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, इस निर्देश के साथ कि श्री मनीष तिवारी, संवाददाता को समन जारी किया जाए। , हिंदुस्तान टाइम्स, चंडीगढ़ और श्री मनीष छिब्बर (अवमाननाकर्ता) को अपने-अपने बयान देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इसके बाद श्री मनीष तिवारी ने 25-3-2003 को एक हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामे में, श्री मनीष तिवारी का दावा है कि सीबीआई छापे के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, एक पत्रकार के रूप में, सूचना की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना उनका कर्तव्य था और चूंकि वह संबंधित समाचार को कवर करने वाले संवाददाता नहीं थे। उच्च न्यायालय में, उन्होंने यह जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स, चंडीगढ़ के रेजिडेंट एडिटर को दे दी, जिन्होंने उन्हें श्री मनीष छिब्बर को यह जानकारी देने का निर्देश दिया, जो विधिवत किया गया। यह भी कहा गया है कि गवाह द्वारा सत्यापन करने पर यह पता चला कि सीबीआई छापे के संबंध में जानकारी गलत थी।

11. श्री रणधीर सिंह, विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा और श्री एजी मसीह, विद्वान उप महाधिवक्ता, पंजाब की दलील यह है कि अवमाननाकर्ता-मनीष छिब्बर द्वारा घोर अवमानना की गई है, जबकि, इसके विपरीत, यह बताया गया था अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कोई प्रकाशन नहीं किया गया था और इस प्रकार कोई आपराधिक अवमानना नहीं की गई थी। यह तर्क दिया गया कि समाचार, साथ ही अवमाननाकर्ता और श्री मनीष तिवारी का आधी रात को माननीय न्यायाधीश के आवास पर जाना पत्रकारिता जांच का एक ईमानदार प्रयास नहीं था, बल्कि माननीय को डराने का एक प्रयास था। 'न्यायाधीश को उनके आवास पर की जा रही छापेमारी के आरोपों से रूबरू कराया। समाचार को पंक्तियों के बीच में पढ़ना होगा। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त समाचार उतना निर्दोष नहीं है जितना प्रतीत होता है। यदि अवमाननाकर्ता इस तथ्य के बारे में आश्वस्त था कि कोई छापा नहीं मारा गया था, तो उसके लिए इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था। यह समाचार बड़े पैमाने पर जनता के लिए एक स्पष्ट "प्रकाशन" है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के दायरे में थे। अवमाननाकर्ता का उद्देश्य उच्च न्यायालय की संस्था को बदनाम करना था और वास्तव में, यह समाचार आइटम था जिसने सीबीआई छापे की झूठी अफवाह फैलाई। आगे यह तर्क दिया गया है कि एक पत्रकार होने के नाते, अवमाननाकर्ता को संयम बरतने की आवश्यकता थी और उसके पास उस तथ्य की रिपोर्ट करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं थे, जो उसकी अपनी रिपोर्ट के अनुसार, गलत पाया गया था। अवमाननाकर्ता का कृत्य,

पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना होने के अलावा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और पूरी न्यायपालिका को बदनाम करता है और इसलिए, अवमाननाकर्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

12. अवमाननाकर्ता की ओर से यह बताया गया कि समाचार का शीर्षक ही "कैनार्ड्स को लेकर परेशान कानूनी बिरादरी", "कैनार्ड्स" शब्द के उपयोग से समाचार रिपोर्ट के लिए स्वर निर्धारित होता है अर्थात समाचार पत्र का प्रयास झूठी और शरारती अफवाहों को खारिज करना है।

13. रिपोर्ट का मुख्य भाग स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से बताता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों और वकीलों के बारे में कुछ "शरारती तत्वों" द्वारा कथित तौर पर फैलाई जा रही लगातार "झूठी अफवाहों" से "कानूनी समुदाय" बहुत परेशान है। रिपोर्ट की शुरुआती पंक्ति में "कैनार्ड्स" शब्द का उपयोग बाकी रिपोर्ट के लिए माहौल तैयार करता है और "शरारती तत्व" शब्दों के इस्तेमाल से यह भी पता चलता है कि रिपोर्ट में केवल उनके आदेश पर प्रसारित अफवाहों की निंदा करने का प्रयास किया गया है। कुछ शरारती तत्वों का. रिपोर्ट में स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ये निराधार रिपोर्टें कुछ ऐसे तत्वों की करतूत हो सकती हैं, जिन्हें पेशेवर कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट में अवमाननाकर्ता के अनुभव को फिर से गिनाया गया है, जब उन्हें आधी रात के आसपास एक ऐसी कॉल मिली, जिसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर की गई छापेमारी का विशेष उल्लेख था, जो कि झूठी पाई गई और जाहिर तौर पर इसका हिस्सा था। दुष्प्रचार अभियान का. यह इंगित किया गया था कि अवमाननाकर्ता ने किसी भी प्रत्यक्ष या अनुमानित कार्य या बोले गए या प्रकाशित किसी भी शब्द के माध्यम से उच्च न्यायालय या न्यायपालिका के किसी भी न्यायाधीश को बदनाम करने या बदनाम करने का प्रयास नहीं किया। यह समाचार प्रसारित हो रहे तथ्यों के एक समूह को रिपोर्ट करने का एक ईमानदार प्रयास था और उक्त तथ्य पूरी तरह से निराधार थे और कानूनी बिरादरी के कुछ असंतुष्ट सदस्यों की करतूत थी। अवमाननाकर्ता ने केवल वही रिपोर्ट किया है जो उसके संज्ञान में आया था और एक पत्रकार के रूप में यह उसका कर्तव्य था कि वह जांच करे और जनता को समाचार की मिथ्याता के बारे में सूचित करे। अवमाननाकर्ता ने केवल एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और समाचार के किसी भी हिस्से को न्याय प्रशासन के उचित पाठ्यक्रम में बाधा/बाधा डालने या हस्तक्षेप करने वाला नहीं माना जा सकता है या किसी भी तरह से संबंधित न्यायाधीशों को डराने के लिए एक सोची-समझी चाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। और संपूर्ण न्यायपालिका या किसी माननीय न्यायाधीश को बदनाम

करना। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि अवमाननाकर्ता द्वारा प्राप्त की गई एक मात्र सूचना, जो झूठी पाई गई और उक्त जानकारी के मिथ्या होने की रिपोर्ट को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास या इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं माना जा सकता है। न्याय प्रशासन ताकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही आमंत्रित की जा सके, 1971 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। अपनी दलीलें जारी रखते हुए, अवमाननाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि 19/20-7-2002 की मध्यरात्रि की घटना, जब अवमाननाकर्ता ने माननीय न्यायाधीश के आवास के बाहर तैनात गार्ड से पूछताछ की, तो यह एक प्रयास था। एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, अवमाननाकर्ता को प्राप्त जानकारी को सत्यापित करने के लिए। अवमाननाकर्ता ने माननीय न्यायाधीश की निजता का उल्लंघन नहीं किया और न ही उन्होंने माननीय न्यायाधीश की टिप्पणियाँ प्राप्त करने की कोशिश की। यदि गार्ड या माननीय न्यायाधीश के निजी नौकर ने माननीय न्यायाधीश को जगाया, तो उक्त कृत्य के लिए अवमाननाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि यह तथ्य कि अवमाननाकर्ता ने अपना विजिटिंग कार्ड गार्ड के पास छोड़ दिया, यह निंदा करने वाले की प्रामाणिकता का सूचक होगा। उपरोक्त कृत्य, किसी भी तरह से, इतना निंदनीय आचरण नहीं बनाते हैं, जिससे अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय के क्रोध को आमंत्रित किया जा सके। अवमाननाकर्ता के कृत्यों ने, पर्याप्त या अन्यथा, हस्तक्षेप नहीं किया है। न्याय प्रशासन और किसी भी तरह से, इस न्यायालय के किसी भी माननीय न्यायाधीश या संपूर्ण न्यायालय पर कोई आक्षेप नहीं लगाएगा।

14. जहां तक माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके बाली के आवास पर किए गए टेलीफोन कॉल का सवाल है, तो यह बताया गया कि यह याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायाधीश के बेटे से संपर्क करने का एक प्रयास था और इसलिए, यह इसे अवमानना नहीं माना जा सकता।

15. यह भी बताया गया कि आधी रात के करीब माननीय न्यायाधीश के आवास पर जाने के अवमाननाकर्ता के कृत्य को अधिक से अधिक अनुचित या गैर-जिम्मेदाराना कहा जा सकता है, जिसके लिए वह पहले ही अयोग्य माफी मांग चुका है। चौथे स्तंभ के सदस्य के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि उनकी जानकारी में आने वाले किसी भी तथ्य को प्रकाशित करने से पहले सत्यापित किया जाए। माननीय न्यायाधीश के आवास पर अवमाननाकर्ता की यात्रा, प्रसारित अफवाहों को सत्यापित करने का एक प्रयास था और इसलिए, चौथे एस्टेट के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन में किया गया

था। अवमाननाकर्ता ने पत्रकारिता लाइसेंस की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है और इसलिए, उसे अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

16. श्री मनीष तिवारी, जिन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया था, की ओर से लिया गया रुख समान प्रभाव वाला है और इसलिए, पुनरावृत्ति के योग्य नहीं है।

17. वर्तमान विवाद पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा। अधिनियम की धारा 2(सी) इस प्रकार है:-

"2(सी) "आपराधिक अवमानना" का अर्थ है किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना जो भी हो-

(i) किसी न्यायालय को लांछित करता है या लांछित करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसके अधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(ii) किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(iii) किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।"

अधिनियम की धारा 15 इस प्रकार है:-

"15. अन्य मामलों में आपराधिक अवमानना का संज्ञान - (1) आपराधिक अवमानना के मामले में, धारा 14 में निर्दिष्ट अवमानना के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या एक प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकता है द्वारा बनाया गया-

(ए) महाधिवक्ता, या

(बी) कोई अन्य व्यक्ति, महाधिवक्ता को लिखित सहमति के साथ, (या)

(सी) केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय के संबंध में, ऐसे कानून अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे कानून अधिकारी की लिखित सहमति के साथ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी आपराधिक अवमानना के मामले में, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे दिए गए संदर्भ पर या महाधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कार्रवाई कर सकता है। ऐसे विधि अधिकारी द्वारा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

(3) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक प्रस्ताव या संदर्भ में उस अवमानना को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए आरोपित व्यक्ति को दोषी माना जाता है।

18. आपराधिक अवमानना के विभिन्न पहलुओं को, अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत परिभाषित किए जाने के अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। **एसके सुंदरम**[1] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा (पैरा 13):-

"13. आपराधिक अवमानना को इस प्रकार दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है किसी ऐसे मामले का प्रकाशन जो किसी न्यायालय के अधिकार को बदनाम करता है या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखता है, आदि। दूसरा है किसी भी कार्य को करना, जो प्राधिकार को बदनाम करता है या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखता है। यदि कोई कार्य केवल इसलिए आपराधिक अवमानना नहीं है क्योंकि उसका कोई प्रकाशन नहीं हुआ है तो ऐसा कार्य स्वचालित रूप से अन्य श्रेणी के दायरे में आ जाएगा क्योंकि बाद वाले में "किसी भी अन्य कार्य को करना" शामिल है। इस प्रकार श्रेणी एक अवशिष्ट श्रेणी है जो इतनी व्यापक है कि आपराधिक अवमानना का कोई भी कार्य संभवतः बच नहीं सकता है। दोनों के लिए आम बात यह है कि यह किसी भी न्यायालय को बदनाम करती है या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखती है आदि।"

19. **दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली बनाम गुजरात राज्य**[2] में आपराधिक अवमानना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

"42. न्यायालय की अवमानना क्या है? न्यायालय की अवमानना की सामान्य कानून परिभाषा है: "न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया एक कार्य या चूक।" न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा परिभाषित न्यायालय की अवमानना में शामिल है सिविल और आपराधिक

---

[1] (2001) 2 एससीसी 171
[2] (1991) 4 एससीसी 406

अवमानना। अधिनियम द्वारा धारा 2(सी) में परिभाषित आपराधिक अवमानना :-

"का अर्थ है किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना जो कुछ भी हो:

(i) किसी न्यायालय को लांछित करता है या लांछित करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसके अधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(ii) किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।" आपराधिक अवमानना की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य शामिल किया जा सकता है जो प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। न्याय का या न्यायालय के अधिकार को कम कर देगा। न्याय के प्रभावी और व्यवस्थित प्रशासन में जनता की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। न्याय के उचित प्रशासन में समुदाय के हितों की रक्षा करने का न्यायालय का कर्तव्य है और, इसलिए, उसे सौंपा गया है न्यायालय की अवमानना करने की शक्ति, अपमान या चोट के विरुद्ध न्यायालय की गरिमा की रक्षा करने की नहीं, बल्कि जनता के अधिकार की रक्षा करने और पुष्टि करने की शक्ति ताकि न्याय प्रशासन विकृत, पूर्वाग्रहित, बाधित या हस्तक्षेप न हो।

20. **डॉ. डीसी सक्सेना बनाम माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश,**[3] में, आपराधिक अवमानना को परिभाषित करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे निम्नानुसार माना गया था: -

"40 इसलिए, न्यायालय को बदनाम करने का मतलब न्यायाधीशों या न्यायपालिका के रूप में न्यायाधीशों की शत्रुतापूर्ण आलोचना होगी। किसी न्यायाधीश पर उसके पद के संबंध में किसी भी व्यक्तिगत हमले को मानहानि या बदनामी के कानून के तहत निपटाया जाता है। फिर भी न्यायाधीश के संबंध में अपमानजनक प्रकाशन एक न्यायाधीश न्यायालय या न्यायाधीशों की अवमानना करता है, जो न्याय के लिए एक गंभीर बाधा है और न्याय की महिमा पर अतिक्रमण है। न्यायालय की गरिमा को कम करने के लिए बनाया गया

---

[3] (1996) 5 एससीसी 216

न्यायाधीश का कोई भी व्यंग्य प्रशासन में जनता के विश्वास को नष्ट कर देगा, कमजोर कर देगा या कमजोर कर देगा। न्याय या न्याय की महिमा। इसलिए, यह एक न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश को बदनाम करना होगा, दूसरे शब्दों में, किसी न्यायाधीश पर पक्षपात, भ्रष्टाचार, पूर्वाग्रह, अनुचित उद्देश्यों का आरोप लगाना न्यायालय का अपमान होगा और अदालत की अवमानना होगी। यहां तक कि किसी न्यायाधीश पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में निष्पक्षता या निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाना भी अवमानना है। अपराध का गंभीर कारण उसकी गरिमा या अधिकार को कम करना या न्याय की महिमा का अपमान करना है। जब अवमाननाकर्ता न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती देता है, तो वह न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों के पालन या न्यायिक प्रक्रिया या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या न्यायाधीश या न्यायपालिका को अवमानना में लाने की प्रवृत्ति पैदा करता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 2(सी) व्यापक अभिव्यक्ति में आपराधिक अवमानना को परिभाषित करती है कि कोई भी प्रकाशन, चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा किसी भी मामले या किसी अन्य कार्य को करने से । जो कुछ भी किसी न्यायालय के अधिकार को बदनाम करता है या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखता है, या कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या पूर्वाग्रह, या किसी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है, तो यह एक आपराधिक अवमानना है। इसलिए, न्यायालय को बदनाम करने की प्रवृत्ति या न्यायालय के अधिकार को कम करने की प्रवृत्ति या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति या किसी भी तरीके से न्याय प्रशासन में बाधा डालने की प्रवृत्ति या न्याय के अधिकार या महिमा को चुनौती देने की प्रवृत्ति, एक आपराधिक अवमानना होगी। अपमानजनक कृत्य के अलावा, कोई भी प्रवृत्ति यदि न्यायालय के अधिकार को कम करने या कम करने की ओर ले जाती है तो यह एक आपराधिक अवमानना है। अवमाननाकर्ता का कोई भी आचरण जिसमें न्यायाधीश या न्यायालय को अवमानना में लाने की प्रवृत्ति हो या प्रवृत्ति पैदा हो या न्यायालय के अधिकार को कम करने की प्रवृत्ति हो, वह भी न्यायालय की अवमानना होगी।"

21. आपराधिक अवमानना की परिभाषा का एक विस्तृत विश्लेषण, जैसा कि अधिनियम की धारा 21 (सी) में निर्धारित किया गया है और जैसा कि उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि एक अधिनियम का गठन किया जाना चाहिए। आपराधिक अवमानना, पहला आवश्यक घटक "प्रकाशन" है, चाहे

बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा। यह अधिनियम, जिस पर अवमानना का आरोप लगाया गया है, ऊपर बताए गए तरीके से "प्रकाशित" किया गया होगा। "प्रकाशन" पर, अधिनियम को भी शरारत के अंतर्गत आना चाहिए, जिसका विवरण अधिनियम की धारा 2(सी) , खंड (i), (ii) और (iii) में दिया गया है। एक या दूसरे का अस्तित्व आपराधिक अवमानना नहीं माना जाएगा। आपराधिक अवमानना का गठन करने के लिए, अधिनियम की धारा 2(1) के "प्रकाशन" और खंड (i), (ii) और (iii) की सामग्री दोनों को सह-अस्तित्व में होना चाहिए। हालाँकि, यदि कोई कृत्य "प्रकाशन" की कमी के कारण आपराधिक अवमानना नहीं है, तो ऐसा कृत्य, जैसा कि एसके सुंदरम के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, अवशिष्ट श्रेणी में आएगा। किसी भी अन्य कार्य को करने के संबंध में। दोनों के लिए सामान्य कारक कृत्य की लांछन लगाने की क्षमता या लांछन लगाने की प्रवृत्ति आदि है।

22. कथित कृत्य से न्यायालय या न्यायाधीशों की अवमानना भी होनी चाहिए, जो न्याय में गंभीर बाधा होगी और न्याय की महिमा पर आघात होगा। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. डी.सी. इसके अलावा, अवमाननाकर्ता का कोई भी आचरण जिसमें न्यायाधीश या न्यायालय को बदनाम करने की प्रवृत्ति हो या न्यायालय के अधिकार को कम करने की प्रवृत्ति हो, वह भी न्यायालय की अवमानना होगी।

23. यह भी उचित होगा, इससे पहले कि हम अवमाननाकर्ता के कथित दुष्कर्मों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें, चौथे स्तंभ के संबंध में अवमानना की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ लें। **पुनः: एस मुलगावकर**[4]: में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

(1) न्यायालय द्वारा अवमानना शक्ति के उपयोग की बुद्धिमानीपूर्ण मितव्ययिता। जहां न्यायाधीशों पर गंभीर और/या निराधार हमले से न्याय खतरे में पड़ता है, जहां न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने या नष्ट करने के लिए हमले की योजना बनाई जाती है, वहां न्यायालय को गंभीरता और सख्ती से कार्य करना चाहिए। अन्यथा कोर्ट को नजरअंदाज कर देना चाहिए, कुत्ते भौंक सकते हैं, कारवां गुजर जाएगा।

(2) चौथे स्तंभ सहित स्वतंत्र आलोचना के संवैधानिक मूल्यों और निडर क्यूरियल प्रक्रिया और उसके पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश की आवश्यकता में

---

[4] (1978) 3 एससीसी 339

सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए और दोनों के बीच एक सुखद संतुलन बनाया जाना चाहिए।

(3) एक अपमानित न्यायाधीश की व्यक्तिगत सुरक्षा और सार्वजनिक न्याय में बाधा की रोकथाम और उस महान प्रक्रिया में समुदाय के विश्वास के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि, पहला अवमानना नहीं है, लेकिन दूसरा अवमानना है।

(4) चौथा स्तंभ जो राज्य और लोगों के बीच एक अपरिहार्य मध्यस्थ है और लोकतंत्र की ताकतों को मजबूत करने में आवश्यक साधन है, उसे जिम्मेदार सीमाओं के भीतर स्वतंत्र खेल दिया जाना चाहिए जब इसका महत्वपूर्ण ध्यान सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालय पर केंद्रित हो।

(5) न्यायाधीशों को तब भी अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए, जब विकृतियां और आलोचनाएं सीमा से आगे बढ़ जाएं, बल्कि उन्हें ऐसी अभद्र निंदाओं को गरिमापूर्ण व्यवहार, कृपालु उदासीनता और न्यायिक सत्यता द्वारा अस्वीकार कर देना चाहिए; और (6) यदि न्यायालय, कारकों की समग्रता का मूल्यांकन करने के बाद, यह मानता है कि न्यायाधीश या न्यायाधीशों पर हमला क्षमा योग्य सीमाओं से परे घृणित आक्रामक, डराने वाला या दुर्भावनापूर्ण था, तो जनता के नाम पर कानून की मजबूत भुजा होनी चाहिए हित और सार्वजनिक न्याय, उस पर प्रहार करें जो कानून के शासन की सर्वोच्चता को उसके स्रोत और धारा को दूषित करके चुनौती देता है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को **पी.एन. डूडा बनाम पी. शिव शंकर** [5] में संदर्भित किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ इस प्रकार थीं (पैरा 12):-

"कृष्णा अय्यर, जे. ने अपने फैसले में कहा कि जहां न्यायाधीशों पर गंभीर और/या निराधार हमले से न्याय खतरे में पड़ता है, जहां न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने या नष्ट करने के लिए हमले की योजना बनाई जाती है, वहां अदालत को गंभीरता और सख्ती से कार्य करना चाहिए। न्यायालय स्वतंत्र आलोचना के संवैधानिक मूल्यों और एक निर्भीक न्यायिक प्रक्रिया और उसके पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश की आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। किसी न्यायाधीश की तीखी आलोचना करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक आवश्यक अधिकार है। जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित रूप

---

[5](1988) 3 एससीसी 167

से सार्वजनिक हित की रक्षा करती है माप, सार्वजनिक न्याय इसे बंद नहीं कर सकता है या इसे बाधित नहीं कर सकता है। न्यायालय को एक अपमानित न्यायाधीश की व्यक्तिगत सुरक्षा और सार्वजनिक न्याय में बाधा की रोकथाम और उस महान प्रक्रिया में समुदाय के विश्वास के बीच भ्रम से बचना चाहिए। पूर्व अवमानना नहीं है, लेकिन बाद वाला, हालांकि ओवरलैपिंग है रिक्त स्थान प्रचुर मात्रा में हैं। चौथा कार्यात्मक सिद्धांत यह है कि चौथे एस्टेट को जिम्मेदार सीमाओं के भीतर स्वतंत्र खेल दिया जाना चाहिए, भले ही इसके महत्वपूर्ण ध्यान का ध्यान उच्च न्यायालय सहित न्यायालय पर हो। न्यायाधीशों के लिए पाँचवाँ मानक दिशानिर्देश यह है कि जहाँ भी विकृतियाँ और आलोचनाएँ सीमा से आगे बढ़ें, वहाँ अति संवेदनशील न हों, बल्कि गरिमापूर्ण व्यवहार से अश्लील निंदा को कम करें, और छठा विचार यह है कि यदि न्यायालय न्यायाधीश या न्यायाधीशों पर हमले को समझता है। निंदनीय सीमा से परे अपमानजनक, आक्रामक, डराने वाला या दुर्भावनापूर्ण, कानून के मजबूत हाथ को उस पर प्रहार करना चाहिए जो कानून के शासन की सर्वोच्चता को उसके स्रोतों और धारा को गंदा करके चुनौती देता है।"

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक और निर्णय जो संदर्भ के योग्य है, **1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1**[6], है। उक्त निर्णय का एक प्रासंगिक भाग इस प्रकार है (पैरा 142): -

"हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमेशा सावधानी से, बुद्धिमानी से और सावधानी से प्रयोग की जानी चाहिए। क्रोध या जलन में इस शक्ति का बार-बार या अंधाधुंध उपयोग गरिमा या स्थिति को बनाए रखने में मदद नहीं करेगा न्यायालय की, लेकिन कभी-कभी इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बुद्धिमान न्यायाधीश यह कभी नहीं भूलते कि उनके कार्यालय की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका उनके निर्णयों की गुणवत्ता, निडरता, निष्पक्षता और निष्पक्षता के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता से सम्मान प्राप्त करना है। उनके दृष्टिकोण का, और संयम, गरिमा और शिष्टाचार का जो वे अपने न्यायिक आचरण में पालन करते हैं।"

---

[6] एआईआर 1964 एससी 745

26. जहां तक अवमानना के आरोप को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत की मात्रा का सवाल है, **मृत्युंजय दास बनाम सैयद हसीबुर रहमान**[7] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्यवस्था दी है: -

"14. इस समय मामले के दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे, सबूत का बोझ और मानक। आम अंग्रेजी वाक्यांश "वह जो दावा करता है उसे साबित करना होगा" सबूत के मामले में इसका उचित अनुप्रयोग है आरोपों को अवमानना का कार्य माना जाता है। जहां तक "सबूत के मानक" का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अदालत के असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत कार्यवाही अर्ध-आपराधिक है, और जैसा कि ऐसे में, आवश्यक सबूत का मानक एक आपराधिक कार्यवाही है और उल्लंघन को उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए। ब्रैम्बलवेल लिमिटेड रे में लॉर्ड डेनिंग की टिप्पणियां, पूर्वोक्त का समर्थन करती हैं। रे: ब्रैम्बलवेल में लॉर्ड डेनिंग ने कहा:

"न्यायालय की अवमानना एक आपराधिक प्रकृति का अपराध है। इसके लिए एक व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। इसे संतोषजनक ढंग से साबित किया जाना चाहिए। समय-सम्मानित वाक्यांश का उपयोग करने के लिए, इसे उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। यह साबित नहीं हुआ है यह दिखाते हुए कि, जब उस आदमी से इसके बारे में पूछा गया, तो उसने झूठ बोला। उसे दोषी ठहराने के लिए कुछ और सबूत होने चाहिए। एक बार कुछ सबूत दिए जाने के बाद, उसके झूठ को उसके खिलाफ़ ठहराया जा सकता है। लेकिन कुछ और सबूत भी होने चाहिए . . . . जहां न्यायालय के लिए दो समान रूप से लगातार संभावनाएं खुली हैं, वहां यह मानना सही नहीं है कि अपराध उचित संदेह से परे साबित हो गया है।

27. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवश्यक सबूत का मानक एक आपराधिक कार्यवाही का है और उल्लंघन को उचित संदेह से परे स्थापित करना होगा।

28. अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और ऊपर उल्लिखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि चौथा एस्टेट, हालांकि, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ निहित है, नहीं कर सकता न्यायाधीशों या न्यायालयों से संबंधित मामलों को गढ़ना या बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, दुरुपयोग करना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना। यदि न्यायालय के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता का कोई अश्लील दुरुपयोग या उल्लंघन होता है, तो

[7] (2001) 3 एससीसी 739

पत्रकारिता लाइसेंस या प्रेस की स्वतंत्रता का कोई भी बहाना ऐसे दुरुपयोग/उल्लंघन के लिए उचित दंड को नहीं रोक पाएगा। हालाँकि, लोकतांत्रिक समाजों में, अदालतों के लिए आक्रोश के बजाय अनुग्रह दिखाना उचित होगा। अवमानना के लिए दंडित करने के लिए न्यायालयों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केवल कदाचार या अनुचितता के प्रश्न पर नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन, प्रकाशन या अवमाननाकर्ता के आचरण के संबंध में, (ए) किसी न्यायालय या न्यायाधीश को अवमानना में लाने या उसके अधिकार को कमजोर करने के लिए किया गया कार्य या प्रकाशित लेख न्यायालय की अवमानना के बराबर होगा और यह संक्षेप में इसे न्यायालय को बदनाम करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, (बी) कोई भी कार्य या लेखन जो व्यक्तियों के खिलाफ मानव जाति को पूर्वाग्रहित करता है या न्याय के उचित पाठ्यक्रम या न्यायालय की वैध प्रक्रिया में बाधा डालता है या हस्तक्षेप करता है, वह न्यायालय की अवमानना है।

29. अब हम ऊपर बताए गए कानून के सिद्धांतों के आलोक में कथित अवमाननाकर्ता के आचरण की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कथित अवमाननाकर्ता दोषी है या नहीं?

30. घटनाओं की श्रृंखला में पहला कदम, जिसके कारण अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, कथित अवमाननाकर्ता द्वारा 19/20-7-2002 की रात को एक माननीय न्यायाधीश के आवास पर जाना है। जैसा कि ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है, और जिन तथ्यों को कथित अवमाननाकर्ता ने नकारा नहीं है, उन्हें श्री मनीष तिवारी से एक संचार प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें यह सत्यापित करने का निर्देश दिया गया कि क्या एक माननीय के आवास पर सीबीआई छापेमारी की जा रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश. अवमाननाकर्ता का दावा है कि उसने माननीय न्यायाधीश के आवास के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया, बाहर तैनात गार्ड से पूछताछ की, गार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड सौंपा और आश्वस्त किया कि सीबीआई छापे के संबंध में आरोप बिल्कुल झूठे थे, श्री की प्रतीक्षा की गई मनीष तिवारी आएंगे. श्री मनीष तिवारी के आने के बाद वे चले गये। माननीय न्यायाधीश द्वारा प्राप्त सूचना को सत्यापित करने के उद्देश्य से अवमाननाकर्ता द्वारा उनके आवास पर जाने का कार्य ऐसा कार्य नहीं है जो आपराधिक अवमानना की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, जैसा कि धारा 2(सी) में परिभाषित है । अधिनियम का. तथ्यों के एक समूह को सत्यापित करने का प्रयास, भले ही अफवाहें हों ताकि उनकी सत्यता या असत्यता को स्थापित किया जा सके, इसे अवमानना की श्रेणी में आने वाला कार्य नहीं माना जा सकता है। चौथे एस्टेट, जिसका कथित अवमाननाकर्ता सदस्य है, को अपने स्वभाव से ही रिपोर्ट करने से पहले सभी तथ्यों को सत्यापित

करना आवश्यक है। एक अलौकिक समय में एक माननीय न्यायाधीश के आवास की यात्रा को, अधिक से अधिक, गैर-जिम्मेदाराना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कथित अवमाननाकर्ता के आचरण से बहुत अधिक आक्रोश, क्रोध और जलन हुई होगी। हालाँकि, उक्त अधिनियम आपराधिक अवमानना के परीक्षण से बहुत कम है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (सी) खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित है। कथित अवमाननाकर्ता का उद्देश्य स्वयं उन जहरीली अफवाहों की पुष्टि करना था जो शरारती और बेईमान तत्वों द्वारा फैलाई जा रही थीं। अवमाननाकर्ता न तो इन अफवाहों का स्रोत था और न ही प्रसारक था और इसलिए, प्राप्त जानकारी को सत्यापित करने का उसका प्रयास, जो गलत निकला, को बदनाम करने का प्रयास या बदनाम करने की प्रवृत्ति, पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप या प्रवृत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करना या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में या हस्तक्षेप करना या बाधा डालना या बाधित करने की प्रवृत्ति रखना।

31. अखबार की रिपोर्ट का शीर्षक है, कानूनी बिरादरी अफवाहों से परेशान है। "कैनार्ड्स" शब्द का उपयोग स्वयं रिपोर्ट की प्रामाणिकता का संकेत है। "कैनार्ड्स" शब्द का अर्थ अफवाहें/अर्धसत्य है। "कैनार्ड्स" शब्द का अर्थ है अफवाहें/अर्धसत्य। बाद के समाचार के लिए स्वर निर्धारित करता है। अखबार की रिपोर्ट के विस्तृत अवलोकन से पता चलता है कि अवमाननाकर्ता ने उच्च न्यायालय के कुछ माननीय न्यायाधीशों पर निर्देशित सीबीआई छापे/जांच के संचालन के बारे में अफवाहों को दूर करने की कोशिश की और फिर पुनर्गणना के लिए आगे बढ़ा। इन अफवाहों की मिथ्याता, कथित अवमाननाकर्ता द्वारा माननीय न्यायाधीश के आवास पर जाकर इसकी मिथ्याता की पुष्टि की गई। विद्वान उप महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त रिपोर्ट को बीच-बीच में पढ़ा जाना चाहिए। पंक्तियाँ और यदि कथित अवमाननाकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँच गया था कि अफवाहें झूठी थीं, तो उसे प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, प्रथम दृष्टया, यह भ्रामक है। कथित अवमाननाकर्ता के ध्यान में तथ्यों का एक सेट आया, जो सत्यापन के बाद फर्जी पाए गए। फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए, कथित अवमाननाकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराना उचित समझा कि अफवाहें झूठी थीं। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि उपर्युक्त रिपोर्ट के प्रकाशन का क्या अर्थ होगा, किसी भी ऐसी सामग्री का प्रकाशन जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही में घोटाला, पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करेगा या न्याय प्रशासन में बाधा डालेगा। उक्त रिपोर्ट वास्तव में इन अफवाहों का खंडन करती है और उनके झूठ को उजागर करती है। यदि कथित अवमाननाकर्ता का प्रयास कथित छापे/जांच के बारे में अफवाहों को बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में लाना

था, तो अखबार की रिपोर्ट से ऐसे किसी इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हम रिपोर्ट में कोई मकसद नहीं पढ़ सकते, जहां कोई मकसद नहीं है। अखबार की रिपोर्ट से अवमानना का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.

32. वास्तव में अखबार की रिपोर्ट ने अफवाहों/आधे सच को खारिज कर दिया। यह केवल तथ्य प्रस्तुत करता है न कि विचार। अफवाह फैलाने की कोशिश को उजागर करने के उद्देश्य से तथ्यों की रिपोर्टिंग आपराधिक अवमानना के दायरे में नहीं आ सकती। कथित अवमाननाकर्ता ने अफवाहों के मिथ्या होने की सूचना दी और उनके मिथ्या होने का अपना सत्यापन दोहराया। संक्षेप में, उन्होंने इन अफवाहों को बढ़ावा दिया और इसलिए, अखबार की रिपोर्ट को किसी भी तरह से न्याय प्रशासन को बदनाम करने, पूर्वाग्रह से ग्रसित करने या इसमें हस्तक्षेप करने या बाधा डालने के प्रयास के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक माननीय न्यायाधीश के आवास पर जाने, दूसरे माननीय न्यायाधीश के आवास पर टेलीफोन कॉल करने और उसके बाद समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रकाशित करने का कथित अवमाननाकर्ता का आचरण अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री उचित संदेह से परे यह स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है कि कथित अवमाननाकर्ता इस न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने का दोषी है।

33. कथित अवमाननाकर्ता श्री मनीष छिब्बर के कृत्य और आचरण की जब आपराधिक अवमानना की परिभाषा के आलोक में जांच की गई, जो अधिनियम की धारा 2 (सी) में निर्धारित है और जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न में स्पष्ट किया गया है। निर्णय, किसी भी तरीके से, इतना घृणित आचरण नहीं बनता है कि इस न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, अधिनियम की धारा 15 के तहत परिकल्पित कोई भी आरोप तय नहीं किया जा सकता है। कार्यवाही के दौरान, पंजाब और हरियाणा के महाधिवक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील को आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, वे कोई आरोप तय करने में विफल रहे।

34. हालाँकि, चौथे स्तंभ को राय की वर्तमान अभिव्यक्ति को न्यायपालिका की संस्था पर हमला करने के लाइसेंस के रूप में नहीं समझना चाहिए और लॉर्ड डेनिंग के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार हैं: -

"मैं तुरंत कहना चाहता हूं कि हम कभी भी इस अधिकार क्षेत्र का उपयोग अपनी गरिमा को बनाए रखने के साधन के रूप में नहीं करेंगे। यह निश्चित नींव पर

आधारित होना चाहिए। न ही हम इसका उपयोग उन लोगों को दबाने के लिए करेंगे जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। हम आलोचना से नहीं डरते हैं, न ही ऐसा करते हैं हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि कुछ और भी महत्वपूर्ण बात दांव पर है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कम नहीं है।

संसद में या उसके बाहर, प्रेस में या प्रसारण को कवर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित के मामलों पर निष्पक्ष टिप्पणी, यहां तक कि मुखर टिप्पणी करे। जो लोग टिप्पणी करते हैं वे न्यायालय में होने वाले सभी कार्यों को ईमानदारी से निपटा सकते हैं। वे कह सकते हैं कि हम ग़लत हैं और हमारे निर्णय ग़लत हैं, चाहे वे अपील के अधीन हों या नहीं। हम बस इतना ही पूछेंगे कि जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, उन्हें याद होगा कि हमारे कार्यालय की प्रकृति के कारण हम उनकी आलोचनाओं का जवाब नहीं दे सकते। हम सार्वजनिक विवाद में नहीं पड़ सकते. राजनीतिक विवादों में अब भी कम हैं. हमें अपनी पुष्टि के लिए अपने आचरण पर ही भरोसा करना चाहिए।

चूँकि हम आलोचना की हवाओं के संपर्क में हैं, इस व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा कही गई कोई भी बात, इस कलम या उस कलम से लिखी गई कोई भी बात हमें वह करने से नहीं रोकेगी जो हम सही मानते हैं; न ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि अवसर की क्या आवश्यकता है, बशर्ते कि यह हाथ में आए मामले से प्रासंगिक हो। जब चीजें गलत तरीके से की जाएं तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं है।"

35. ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके मद्देनजर यह स्पष्ट है कि कथित अवमाननाकर्ता श्री मनीष छिब्बर इस न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने के दोषी नहीं हैं।

36. परिणामस्वरूप, नियम का निर्वहन किया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी